डिस्कलेमर

आदेश संख्या 20/2021-22 के मुख पृष्ठ, निर्णयों का सार और आदेश संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एमएएफएफएल/एफएफ/सीपी-III/2021-26

आदेश संख्या 20/ 2021-22

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

मुम्बई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (एमएएफएफएल) के संबंध में सीएसएमआई हवाईअड्डा, मुम्बई में तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभार के निर्धारण के मामले में

जारी करने की तारीख : 24 सितम्बर, 2021

ऐरा भवन

प्रशासनिक कॉम्पलेकस

सफदरजंग हवाईअड्डा

नई दिल्ली – **110003**

अध्याय 12 प्राधिकरण के निर्णयों का सार

अध्याय और पैरा संख्या		निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	2.18.1	प्राधिकरण एमएएफएफएल के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए 'सिंगल टिल' आधार पर "प्राइस कैप अप्रोच" अपनाने का निर्णय लेता है।	13
अध्याय संख्या 3	3.38.1	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 9 के अनुसार मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	31
	3.38.2	प्राधिकरण तालिका संख्या 12 के अनुसार विनियामक परिसंपत्ति आधार को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
	3.38.3	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के टूअप के लिए सीएसआर सहित तालिका संख्या 15 के अनुसार प्रचालन खर्च को मानने का निर्णय लेता है।	
	3.38.4	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 16 के अनुसार आयकर को मानने का निर्णय लेता है।	
	3.38.5	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 19 के अनुसार एफआरओआर को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
	3.38.6	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 18 के अनुसार अन्य आय को टूअप करने का निर्णय लेता है।	
	3.38.7	प्राधिकरण द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 20 के अनुसार एमएएफएफएल की कुल राजस्व अपेक्षा को टूअप करने का निर्णय लेता है और तृतीय नियंत्रण अवधि में समायोजन के लिए 4402.02 लाख रूपए की कराधान द्वारा भरपाई को मानने का भी निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 4.	4.8.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए तालिका संख्या 24 के अनुसार अनुमानित ईंधन थ्रूपुट (मात्रा) को मानने का निर्णय लेता है।	38
	4.8.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करने के दौरान वास्तविक आधार पर ईंधन थ्रूपुट (मात्रा) को टूअप करने का भी निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 5.	5.12.1.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 28 के अनुसार एमएएफएफएल के पूंजीगत व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	48
	5.12.1.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 32 के अनुसार संशोधित मूल्यह्रास को मानने का निर्णय लेता है।	
	5.12.1.3	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 34 के अनुसार एमएएफएफएएफएल के विनियामक परिसंपत्ति आधार को मानने का निर्णय लेता है।	
	5.12.1.4	प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएएफएफएल पूंजीगत व्यय योजना का पालन करता है, अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के दौरान तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टूअप कार्य में कोई भी विशिष्ट कैपेक्स पूंजीकरण के निर्धारित समय के अनुसार पूर्ण न होने पर पुनर्समायोजन के रूप में एआरआर/लक्ष्य राजस्व से पूंजीकृत न किए गए कैपेक्स की 1% राशि घटाने का प्रस्ताव करता है।	
	5.12.1.5	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान मूल्यह्रास और आरएबी को टूअप करने का भी निर्णय लेता है।	

अध्याय और पैरा संख्या		निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 6.	6.9.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए ईक्विटी की लागत 14% बनाए रखने का निर्णय लेता है।	53
	6.9.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 36 के अनुसार 'ऋृण की लागत' को अंगीकार करने का निर्णय लेता है।	
	6.9.3	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 37 में परिकलित किए अनुसार एफआरओआर को अंगीकार करने का भी निर्णय लेता है।	
	6.9.4	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान एफआरओआर को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 7.	7.14.1	प्राधिकरण तालिका संख्या 41 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानने का निर्णय लेता है।	60
	7.14.2	प्राधिकरण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को ट्रूअप करने का भी निर्णय करने का लेता है।	
अध्याय संख्या 8.	8.8.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 43 के अनुसार अन्य आय को मानने का निर्णय लेता है।	62
	8.8.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारण के दौरान तृतीय नियंत्रण अवधि की अन्य आय को ट्रूअप करने का निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 9.	9.5.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 45 के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के लिए आयकर को मानने का निर्णय लेता है1	64
	9.5.2	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान आयकर को ट्रूअप करने का भी निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 10.	10.3.1	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 47 में परिकलित किए अनुसार कुल राजस्व अपेक्षा को मानने का निर्णय लेता है।	
	10.3.2	प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए तालिका संख्या 48 के अनुसार एफआईसी की दर निर्धारित करता है।	67
	10.3.3	प्राधिकरण अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण के दौरान एआरआर को ट्रूअप करने का भी निर्णय लेता है।	
अध्याय संख्या 11.	11.5.2	प्राधिकरण एमएएफएफएफएल, मुम्बई के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.10.2021 से 31.03.2026) के लिए संलग्नक-I के अनुसार टैरिफ दर मानने का निर्णय लेता है।	69

13 <u>आदेश</u>

रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) एमएएफएफएफएल, मुम्बई को तृतीय नियंत्रण अवधि (01 अक्तूबर, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक) के लिए तालिका संख्या 48 के अनुसार ईंधन अवसंरचना प्रभारों के लिए टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) नई टैरिफ की वसूली 01 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी होगी।

(iii) इसमें अनुमोदित टैरिफ दरें उच्चतम दरें हैं और इनमें यथा लागू कर, यदि कोई हो, शामिल नहीं है।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवामें,

श्री देबाशीष गोस्वामी,
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मुम्बई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड,
आईटीसी मराठा के सामने, साहर पुलिस स्टेशन रोड,
सीएसआई हवाईअड्डा, साहर,अंधेरी (पूर्व),
मुम्बई - 400099

<u>प्रतिलिपि,</u>

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय,
राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.

2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीएसएमआईए, मुम्बई